गोपाल मंदिर क्षेत्र में बुलडोजर का साया, दुकानें खाली करने का नोटिस

एक माह में दुकान खाली करो, निगम के नोटिस ने बढ़ाई व्यापारियों की चिंता

- सिंहस्थ से पहले रीगल टॉकीज से गोपाल मंदिर तक एक्शन
- संकरी गलियों को विस्तार देने की कवायद

प्रभावितों की पीड़ा- पेट भरने का सहारा छिनेगा

विकास की इस दौड़ में प्रभावित दुकानदार और भू-स्वामी आक्रोशित हैं. गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स,रीगल टाकीज कॉम्प्लेक्स, छत्री चौक, मोचीवाड़ा की गलियों में बनी दुकानें हटने से कई छोटे व्यापारियों का रोजगार प्रभावित होगा. दुकानदारों का मुख्य विरोध है कि उन्हें पर्याप्त समय और उचित पुनर्वास का भरोसा नहीं दिया जा रहा । निगम द्वारा नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही जा रही है, बावजूद व्यापारी ताबड़तोड़ बेदखली की कार्रवाई से चिंतित हैं.

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल की नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए, शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है. इसी कड़ी में, गोपाल मंदिर स्थित निगम परिषद के नीचे की दुकानों को तोड़कर नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं आसपास के क्षेत्र में भी दुकानदारों को नोटिस बांटे गए हैं.

यह विकास कार्य जहां एक ओर सिंहस्थ के लिए अत्यावश्यक माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित दुकानदारों और निवासियों में नाराजगी भी साफ दिख रही है. नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा जारी सूचना-पत्र में गोपाल मंदिर के आसपास की दुकानों को 1 को एक माह के भीतर रिक्त करने का निर्देश दिए है. यह कार्रवाई शहर के उस क्षेत्र में हो रही है, जो महाकाल सवारी मार्ग का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है.

धार्मिक शोभायात्रा, जुलूस, रैली और सवारी मार्ग-यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से संकरे गलियों वाला है, जहाँ श्रावण-भादौ मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की भव्य सवारी के दौरान लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं. संकरी गलियां अक्सर भीड़भाड़ और यातायात जाम का कारण बनती हैं. वहीं राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक रैली जुलूस आए दिन निकलते रहते हैं, एक कारण है कि इन मार्गों को चौड़ा करने की दरकार है.

करोड़ों श्रद्धालु इन मार्गों पर आएंगे-प्रशासन का उद्देश्य इन संकरी गलियों को विस्तारित कर, सवारी मार्ग को चौड़ा और व्यवस्थित बनाना है. इससे सिंहस्थ 2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के क्राउड मैनेजमेंट (भीड़ प्रबंधन) में बड़ी मदद मिलेगी, साथ ही सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होगी.

व्यापक अभियान चलेगा-नगर निगम द्वारा रीगल टॉकीज के आसपास समेत शहर के कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों से पहले ही अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, जो इसी व्यापक चौड़ीकरण अभियान का हिस्सा है.

सिंहस्थ में मिलेगी सुविधा

प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है।सिंहस्थ-2028 में अनुमानित भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर और शिप्रा तट तक पहुंचने वाले मार्गों को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा करना अनिवार्य है. इस विकास से शहर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन की सुविधा मिलेगी. चौड़ीकरण से केवल यातायात ही सुगम नहीं होगा, बल्कि भूमिगत सीवरेज, पानी और बिजली लाइनों के विकास के साथ-साथ चौराहों का कलात्मक सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा.

समग्र विकास के लिए तीसरी बार चाहिए एनडीए सरकार

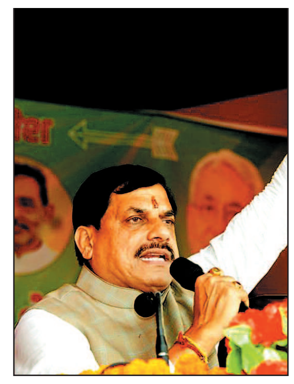

बिहार में जनसभाओं को सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया संबोधित

पटना/भोपाल, 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री यादव ने बुधवार को बिहार के कटोरिया, नाथनगर और आलमनगर विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास की अपार संभावनाएं रखता है। समग्र विकास के लिए राज्य में तीसरी बार एनडीए सरकार आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशभर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के बाद अब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य तीर्थ बनेगा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि किसानों के पसीने का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से बिहार के 74 लाख किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। बहनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।

डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई है। बिहार की भूमि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और सूर्योपासना की परंपरा का केंद्र रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाए,

आवश्यकता है केयर टेकर की

आवश्यकता है भोपाल में लकवा के मरीज की देखभाल के लिए एक फुल टाइम केयरटेकर की, जो मरीज की संपूर्ण देखभाल कर सके.

कम से कम दो वर्ष के अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता.

12 घंटे की ड्यूटी, वेतन- 15000/-

संपर्क करें

9826461065

सोनम पर सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप तय

05 आरोपियों पर अदालत ने तय किए आरोप

नवभारत न्यूज़

इंदौर/ शिलांग. ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है.

मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने मंगलवार को मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत पांच आरोपियों पर आरोप तय किए हैं. सोनम पर हत्या की साजिश में शामिल रहने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है. उसके साथ राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर भी अदालत ने आरोप तय करते हुए इनकी जमानत रद्ध कर दी है. राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि कोर्ट ने इन पांचों पर हत्या, सबूत गायब करना और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया. अदालत ने माना कि प्रस्तुत साक्ष्य और जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. यह कार्रवाई उस विस्तृत जांच के बाद हुई, जिसमें पुलिस ने 5 सितंबर को सोहरा सब-डिवीजन की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

चार्जशीट में स्पष्ट उल्लेख है कि सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर न केवल हत्या की साजिश रची बल्कि वारदात के बाद सबूत मिटाने में भी भूमिका निभाई. अदालत में आरोप तय करते समय अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में पर्याप्त प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताया. कोर्ट ने पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ही कई बार खारिज कर दी है. इधर पुलिस अब बाकी तीन आरोपियों सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ अलग चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है. इन तीनों पर भी सबूत नष्ट करने में सहयोग करने का आरोप है.

उल्लेखनीय है कि राजा रघुवंशी का शव बरामद होने के 97 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पेश की थी. मेघालय पुलिस की एसआईटी द्वारा की गई जांच में सोनम समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया था. अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब इस चर्चित हत्याकांड का ट्रायल चरण शुरू हो चुका है. जिसके चलते अब किसी भी आरोपी की जमानत मंजुर नहीं की जा सकती है.

भाजपा राज में अपराध बेलगाम : जीतू

विशेष संवाददाता

भोपाल,29 अक्टूबर. मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।हाल के दिनों में प्रदेशभर में घटित आपराधिक घटनाओं ने राज्य में फैले जंगलराज की तस्वीर स्पष्ट कर दी है।

कटनी के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, गुना के गणेशपुरा में बीजेपी नेता महेंद्र नागर द्वारा किसान रामस्वरूप धाकड़ की निर्मम हत्या, जबलपुर में दंपत्ति की हत्या, सिंगरौली में युवक को मोबाइल चोरी के शक में सार्वजनिक सजा और पन्ना में आरोपी पंचम यादव द्वारा पुलिस दल पर कुल्हाड़ियों से हमला इन घटनाओं ने सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया है।

जंगलराज पर कांग्रेस का प्रहार

अपराधियों को संरक्षण दे रही है सत्ता

उन्होंने कहा, सत्ता अपराधियों को संरक्षण दे रही है, वैधानिक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं। हम मांग करते हैं कि सभी घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी नेताओं पर कार्रवाई की जाए और गृह मंत्री तत्काल इस्तीफा दें। पटवारी ने कहा कि अब निर्दोष किसान, महिलाएं और आम नागरिक भय के साये में जी रहे हैं।

7 फरवरी तक तबादलों पर रोक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 अक्टूबर. प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के तबादलों पर सात फरवरी तक रोक लग गई है. विशेष रूप से चुनाव आयोग के काम से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर पूरी तरह रोक रहेगी.

ये रोक कलेक्टर, अपर कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार जैसे मैदानी अफसरों पर ज्यादा प्रभावी रहेगा.

भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने तक इस तरह के अफसरों के तबादले नहीं करने की बात कही है. यदि इस तरह के अफसरों के तबादले किये जाना अनिवार्य होगा, तो इसके लिये चुनाव आयोग की अनुमति लेना होगा. वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के दूसरे वरिष्ठ अफसरों के तबादले किये जा सकेंगे, इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी. इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा, सहित राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के तबादलों पर भी कोई रोक नहीं होगी. चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में यह भी कहा है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं होना चाहिए. जिससे कि आयोग द्वारा तय समय सीमा में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया जा सके. इस काम के लिये जरुरी बीएलओ और सुपरवाइजर्स की कमी भी नहीं हो,

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60